डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड

बनाम

तमिल नाडु और एक और राज्य

(2002 की सिविल अपील सं.5329)

16 दिसंबर, 2013

[आर. एम. लोधा, जे. चेलामेश्वर और मदन बी. लोकुर, जे. जे.]

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957- एसएस.3(ई), 4, 9, 14 और 16- खनिज रियायत नियम, 1960- अध्याय IV, V और VI- तमिलनाडु राज्य में खनन पट्टे का भुगतान रॉयल्टी-1957 अधिनियम के तहत खनन पट्टा हासिल करने वाले रैयतवाड़ी पट्टादार को रियायती दर पर रॉयल्टी का भुगतान करने का अधिकार नहीं है-क्या राज्य सरकार के पास निर्धारित दर के अलावा किसी भी पट्टेदार से रियायती दर पर रॉयल्टी एकत्र करने का विवेक है अधिनियम और नियमों के तहत इस तरह के विवेकाधिकार प्रदान करने वाले किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में-माना गया: प्रश्न का उत्तर 5 अन्य प्रश्नों/मुद्दों के उत्तर पर निर्भर करता है, रिट याचिकाओं में दलीलें (ई वर्तमान अपीलों में परिणत) निराशाजनक रूप से अस्पष्ट हैं, न्यायालय को किसी भी मुद्दे की जांच करने में सक्षम बनाने के लिए गंजा और अस्पष्ट-लेकिन देश के अन्य हिस्सों से अपीलों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों में से एक पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय की एक

बड़ी पीठ के पास भेजा गया है-कानून के सममित अनुप्रयोग की आवश्यकता; पूरे देश में एक समान तरीके से-अपीलकर्ताओं के साथ-साथ राज्य सरकार को रिट याचिकाओं (जिसके कारण वर्तमान अपील हुई) में दलीलों को उचित रूप से संशोधित करने और प्रश्नों के निर्णय के लिए आवश्यक संपूर्ण तथ्य रखने का अवसर दिया गया। हस्त-प्रस्तुत अपीलों को तदनुसार 1999 की सिविल अपील संख्या 4056-64 आदि के साथ टैग किया गया-संपदा (उन्मूलन और रैयतवारी में रूपांतरण) अधिनियम, 1948-तमिलनाडु इनाम संपदा (उन्मूलन और रैयतवारी में रूपांतरण) अधिनियम-1963-धारा 3 (बी)- दलीले अपर्याप्त दलीले।

उद्योग विभाग में तमिलनाडु सरकार ने विभिन्न जिलों के कलेक्टरों को संबोधित एक पत्र संख्या 628 दिनांक 10.5.1982 जारी किया, जिसमें उन्हें खनन पट्टों के संबंध में पट्टा भूमि धारकों के साथ रॉयल्टी और डेड रेंट का 50% साझा करने से रोकने के लिए कहा गया। और उस भूमि के मामले में जिसमें खनिज सरकार में निहित हैं, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी और तीसरी अनुसूची में निर्धारित रॉयल्टी और अनिवार्य किराया के रूप में देय पूरी राशि एकत्र करना। पत्र के अनुसार, कलेक्टरों ने अपीलकर्ता-सीमेंट कंपनियों से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत निर्धारित दरों पर रॉयल्टी और अनिवार्य किराया माफ करने का आह्वान किया। उपरोक्त दो कार्यवाहियों को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता-सीमेंट कंपनियों ने

रिट याचिकाएँ दायर कीं। उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं को आंशिक रूप से इस हद तक अनुमति दी गई थी कि पट्टों की अवधि के दौरान, जो रिट याचिका दायर करने की तिथि पर लागू थे, उत्तरदाताओं को अपीलकर्ताओं से रॉयल्टी की मांग करने और एकत्र करने से रोक दिया गया था। जहां तक पट्टा भूमि एफ का संबंध है, 50 प्रतिशत से अधिक। अपीलकर्ताओं के साथ-साथ राज्य सरकार भी उपर्युक्त फैसले से व्यथित थी क्योंकि यह उनके खिलाफ था, और इसलिए, वर्तमान अपीलों को 1999 की सिविल अपील सं 4056-64 आदि के साथ न्यायालय ने टेग् करने का निर्देश देते हुए।

आयोजित:

1.1. वर्तमान अपीलों में परिणित होने वाली रिट याचिकाओं में पूरी तरह से गंजे और अस्पष्ट दावे शामिल थे। ऐसी दलीलों की पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय ने इसकी लंबी जांच शुरू की उप-भूमि में पट्टादार के अधिकार। [पैरा 3,12] [538] बी; 543-बी-सी]

1.2. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए मामलों के निर्णय में, दुर्भाग्य से समय के साथ न्यूनतम ध्यान देने (अस्वीकृति की हल्की अभिव्यक्ति को नियोजित करने) की एक प्रणाली विकसित हो गई है। जब कई मामलों (कथित तौर पर प्रकृति में समान)

को निर्णय के लिए एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो समस्या जटिल हो जाती है। [पैरा 13] [543-डी]

1.3. डालमिया सीमेंट का यह दावा कि वह एक रैयतवारी पट्टादार है, तथ्य का एक संदिग्ध बयान है। इस बात की जांच करना कि क्या ऐसा पट्टादार उप-मृदा अधिकारों का हकदार है, पूरी तरह से अनुचित था क्योंकि पूरी रिट याचिका में एक भी वाक्य नहीं है जिसमें डालमिया सीमेंट ने दावा किया हो कि उप-मृदा अधिकार उनके पास निहित हैं। [पैरा 21] [548-बी-सी]

1.4. डालमिया सीमेंट द्वारा धारित पट्टों की संख्या, प्रासंगिक तारीखें जिन पर ऐसे पट्टे पहली बार दिए गए थे या बाद में नवीनीकृत किए गए थे (यदि नवीनीकृत किए गए हैं) के बारे में कोई जानकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। न ही सूचना रिट जो उन पट्टों में से किसी एक के अंतर्गत आता है (यदि एक से अधिक पट्टे हैं) रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसलिए, यह ज्ञात नहीं है कि पट्टे 'खनिज' या 'लघु खनिज' से संबंधित हैं या नहीं। [पैरा 22] [548-डी]

1.5. रिकॉर्ड से जो एकमात्र तथ्य सामने आता है, वह यह है कि 10.11.1945 को दिए गए खनन पट्टे के अनुसार, डालमिया सीमेंट भूमि के कुछ हिस्सों में खनन कार्य कर रहा है। 1945 में, इस देश में खनन कार्यों की गतिविधि को विनियमित करने वाला कोई जी क़ानून नहीं था। ऐसा

प्रतीत होता है कि मद्रास माइनिंग मैनुअल नामक कुछ कार्यकारी निर्देश थे जो देश के उस हिस्से में खनन कार्यों को नियंत्रित करते थे जिसे मद्रास प्रांत के नाम से जाना जाता है। क्या उक्त खनन 1945 का पट्टा वास्तव में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत परिभाषित एक पट्टा था या भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत अपने कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करते हुए खनन गतिविधि जारी रखने के लिए राज्य द्वारा दी गई अनुमति थी, जिसके लिए उचित जांच की आवश्यकता होती है। वास्तव में किसी विशिष्ट दलील या मुद्दे के अभाव में ऐसे मामलों की जांच आवश्यक नहीं है। [पैरा 23] [548- ई-एच]

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने खनिज रियायत नियम, 1960 के रूप में ज्ञात नियम बनाए। उक्त नियमों का अध्याय IV अनुदान की प्रक्रिया से संबंधित है और उस भूमि के संबंध में खनन पट्टों का विनियमन जिसमें खनिज सरकार में निहित हैं। उक्त नियमों का अध्याय V उस भूमि के संबंध में पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त करने की प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें खनिज सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पास निहित हैं। उक्त नियमों का अध्याय VI से संबंधित है- खनन पट्टे उस भूमि के संबंध में होते है जिसमें खनिज आंशतः सरकार में और आंशतः निजी व्यक्ति में निहित होते है। नियम उपर्युक्त तीन अध्यायों के अंतर्गत आने वाली भूमि के विभिन्न वर्गों से

संबंधित हैं और खनन के अनुदान को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रावधान करते हैं। ऐसी खदानों के कामकाज के लिए पट्टे और विनियामक उपाय और संबद्ध मामले। लेकिन कोई भी नियम उन भूमियों के मामले में रियायती दर पर रॉयल्टी के संग्रह का प्रावधान नहीं करता है जहां खनिज सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पास निहित हैं। किसी भी स्थिति में, इस न्यायालय का ध्यान ऐसे किसी नियम की ओर आकर्षित नहीं किया गया। [पैरा 34] [552-ई-एफ; 553-ए-सी]

3. तमिलनाडु राज्य द्वारा कोई नियम नहीं बनाया गया है (यदि अपीलकर्ताओं का कोई भी खनन पट्टा लघु खनिजों से संबंधित है) जो राज्य को रियायती दर पर रॉयल्टी एकत्र करने के लिए अधिकृत करता है। भूमि के "रैयतवारी पट्टादार" के पक्ष में दिया गया खनन पट्टा में लाया जाता है इस न्यायालय का नोटिस. न ही उस संबंध में कोई विशेष दलील है। [पैरा 35] [553-सी-डी]

4. अगर ये मान भी लिया जाए कि सीमेंट कंपनियां. पट्टादार (या ऐसे पट्टादारों के हित में उत्तराधिकारी) या तो मूल रैयतवारी प्रणाली के तहत हैं या सम्पदा/इमाम के उन्मूलन के अनुसार 'रैयतवारी पट्टा' के धारक हैं, और यह भी मानते हैं कि प्रत्येक अपीलकर्ता कंपनी का मालिक भी है उनकी पट्टा भूमि के उपमृदा अधिकार, ऐसे स्वामित्व से रॉयल्टी एकत्र करने के राज्य के अधिकार के संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ता है।

यहां तक कि डब्लू.आर.टी. मूल रैयतवाड़ी पट्टा भूमि जहां खनिज पट्टादार में निहित है, राज्य ने दावा किया था (बीएसओ 10 दिनांक 19.03.1888 में), "खनिजों की उपज में एक हिस्सा धन भुगतान में परिवर्तित" एकत्र करने का उसका अधिकार था-जो अंततः नामकरण रॉयल्टी का अधिग्रहण किया। [पैरा 36] [553-ई-एच]

थ्रेसिअम्मा जैकब और अन्य बनाम। भूविज्ञानी, खनन और भूविज्ञान विभाग और अन्य। (2013) 9 एससीसी 725-संदर्भित।

5. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 या उसके तहत बनाए गए नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अधिनियम के तहत खनन पट्टा हासिल करने वाले रैयतवारी पट्टादार को रियायती दर पर रॉयल्टी का भुगतान करने का अधिकार देता हो। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार के पास अधिनियम के तहत निर्धारित दर के अलावा किसी भी पट्टेदार से रियायती दर पर रॉयल्टी एकत्र करने का विवेक है, क्योंकि अधिनियम और नियमों के तहत इस तरह के विवेकाधिकार प्रदान करने वाले किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में। प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पर निर्भर करता है:

1. खनन पट्टे का वास्तविक कानूनी चरित्र क्या है अर्थात क्या खनन पट्टा उस अभिव्यक्ति के अर्थ में एक पट्टा है जैसा कि नीचे

परिभाषित किया गया है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम या यह केवल खनन गतिविधि चलाने की अनुमति है?

2. क्या उपमृदा के स्वामित्व से उपरोक्त प्रश्न के निर्धारण में कोई फर्क पड़ता है?

3. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत अभिव्यक्ति रॉयल्टी का वास्तविक कानूनी चरित्र क्या है, अर्थात

चाहे वह एक कर हो या खनन पट्टे के अनुबंध का प्रतिफल है?

4. क्या राज्य के पास खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत या संविधान की योजना के तहत अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित दरों से कम दरों पर रॉयल्टी एकत्र करने का कोई विवेकाधिकार है?

5. क्या रॉयल्टी के वास्तविक चरित्र से प्रश्न संख्या 4 के निर्धारण में कोई फर्क पड़ता है? [पैरा 37] [556-सी-डी; 557-ए-ई]

6.1. रिट याचिकाओं में अभिवचन (समापन)वर्तमान अपीलों में) निराशाजनक रूप से अस्पष्ट, गंजे हैं और न्यायालय को उपर्युक्त मुद्दों में से किसी एक की जांच करने में सक्षम बनाने के लिए अस्पष्टता। लेकिन उपर्युक्त मुद्दों में से तीसरा पहले से ही एक बड़े मुद्दे के लिए संदर्भित है। इस न्यायालय की पीठ, अन्य लोगों की अपीलों से उत्पन्न होती है देश के कुछ हिस्सों में। इन अपीलों को खारिज करने से अंततः कानून का

असममित अनुप्रयोग हो सकता है। तरीका जो पूरे देश में समान नहीं है जिससे सुसंगत और समान रूप से प्रभावित होता है संविधान की व्याख्या। इसलिए यह माना जाता है कि साथ ही तमिलनाडु राज्य उपयुक्त रूप से संशोधन करने के लिए कई रिट याचिकाओं में दलीलें दी जाती हैं और डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड को रखा जाता है के निर्णय के लिए आवश्यक सम्पूर्ण तथ्य उपलबध् है। [पैरा 38] [557-एफ-एच; 558-ए]

6.2. अपीलकर्ताओं को यहां ऊपर उठाए गए मुद्दों के निर्णय के लिए आवश्यक पूर्ण तथ्यों का खुलासा करते हुए हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा जाता है। यदि राज्य रिकॉर्ड पर नए लाए जाने वाले किसी भी तथ्य पर विवाद करता है, तो अपीलकर्ताओं द्वारा दायर किए गए ऐसे आगे के हलफनामों पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए तमिलनाडु राज्य स्वतंत्र है। [पैरा 39] [558-बी]

6.3. प्रश्न "खनिजों से उत्पादित/खनन/निकाले गए खनिजों पर देय रॉयल्टी/डेड रेंट की वास्तविक प्रकृति क्या है" (कुछ अन्य संबंधित प्रश्नों के साथ) इस न्यायालय के दिनांक 30 मार्च, 2011 के खनिज मामले में एक आदेश द्वारा एक बड़ी पीठ को भेजा गया था। क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं अन्य बनाम। भारतीय इस्पात प्राधिकरण एवं डीओआरएस। यह उचित समझा जाएगा कि इन अपीलों को खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं अन्य के साथ टैग किया जाए। बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण एवं

अन्य, 1999 की सिविल अपील संख्या 4056-64 आदि। [पैरा 40, 41] [558-सी-ई]

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं अन्य। बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण एवं अन्य। (2011) 4 एससीसी 450: 2011 (4) एससीआर 19- संदर्भित।

मामला कानून संदर्भः

(2013) 9 एस. सी. सी. 725 संदर्भित किया गया है पैरा 36

2011(4) एस. सी. आर 19 संदर्भित किया गया है पैरा 40

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं 5329/2002

रिट अपील संख्या 685/1991 में मद्रास उच्च न्यायालय के नि्णर्य और आदेश दिनांक 04.03.2002 के साथ

सिविल अपील संख्या 1352/2005

2002 की सिविल अपील सं 5332, 5333 और 5335-5336

राजीव धवन, आर. वेंकटरमानी, गौरव जुनेजा, समन अहसान, राहुल चंद्रा, संजीव के. कपूर (खेतान एंड कंपनी के लिए), प्रभा स्वामी, कृष्णमूर्ति स्वामी, यू. ए. राणा, एम. मजूमदार (गागराट एंड कंपनी), वी. विजय लक्ष्मी, शोधन बाबू, नीलम सिंह, बी. बालाजी, उपस्थित पक्षो के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

1- 4 मार्च, 2002 के एक सामान्य निर्णय द्वारा, मद्रास उच्च न्यायालय ने रिट अपीलों के एक बैच और कुछ संबंधित रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर, चार कंपनियां, जो तमिलनाडु राज्य में सीमेंट के निर्माण और बिक्री का व्यवसाय कर रही हैं, इन अपीलों में मामले को इस न्यायालय में ले गईं।

2. तमिलनाडु सरकार के उद्योग विभाग ने विभिन्न जिलों के कलेक्टरों को संबोधित एक पत्र क्रमांक 628 दिनांक 10.5.1982 जारी किया। पत्र के प्रासंगिक भाग में लिखा है -

> "मुझे यह बताने का निर्देश दिया गया है कि पट्टा भूमि पर पट्टों के संबंध में रॉयल्टी और डेड रेंट की दरें एक परंपरा के रूप में 50% (आधी दर) तय की गई हैं, जिसका लंबे समय से पालन किया जा रहा है। और यह नियमों पर आधारित नहीं है.

2. 1977 में वरिष्ठ उप महालेखाकार ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पट्टा भूमि में खनन के लिए आधी दरों पर रॉयल्टी लगाने की गलत बात बताई थी, क्योंकि खनिज रियायत नियम 1960 में हिस्सेदारी के संबंध में कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है। पट्टादार और सरकार के बीच खनिज वरिष्ठ उप महालेखाकार ने अपने डीओ चौथे में यह भी बताया है कि राज्य में खनन पट्टा भूमि जहां खनिज पूरी तरह से सरकार में निहित

हैं, के लिए अनिवार्य दर पर रॉयल्टी लगाने में चूक के परिणामस्वरूप सरकार को 39.12 को 40.28 लाख रुपये का राजस्व छोड़ना पड़ा। अकेले 1974 से 1976 के दौरान 29 पट्टों के संबंध में लाखों टन खनिज। इस ऑडिट आपत्ति के अनुसरण में और उद्योग और वाणिज्य निदेशक, तत्कालीन राजस्व बोर्ड और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से, सरकार ने अपने पांचवें आदेश में इस आशय का हवाला देते हुए आदेश जारी किया कि उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित मौजूदा प्रणाली प्रभावित हो सकती है। फिलहाल जारी रखा जाए.

3. उपरोक्त आदेश सरकार का अंतिम निर्णय नहीं है बल्कि यह केवल अस्थायी आदेश है। इनाम, मान्यम और सर्वण्यम भूमि के संबंध में पट्टादारों को खनिजों का हिस्सा असाइनमेंट की अवधि और प्रकृति के संदर्भ में भिन्न हो सकता है। इसके अलावा, वरिष्ठ उप महालेखाकार ने यह भी बताया है कि वर्ष 1974-76 में निर्धारित रॉयल्टी और डेड रेंट की आधी दर लगाने के कारण सरकार को 40.28 लाख रुपये के राजस्व की भारी हानि हुई थी। सरकारी भूमि के मामले में पट्टा भूमि पर खनन पट्टों के संबंध में खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की दूसरी और तीसरी अनुसूची। तदनुसार, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि खनन पट्टों के संबंध में पट्टा भूमि धारकों के साथ रॉयल्टी और डेड रेंट का 50% हिस्सा साझा करना बंद कर दें और उक्त की दूसरी और तीसरी अनुसूची में निर्धारित रॉयल्टी और डेड रेंट के रूप में देय पूरी राशि वसूल

करें। इस आदेश के जारी होने की तारीख से उस भूमि के मामले में कार्य करें जिसमें खनिज सरकार में निहित हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इनामदार और स्थायी रूप से बसी भूमि का मालिक खनिज अधिकारों का हकदार होगा, बशर्ते कि भूमि धारक और इनामदार दस्तावेज साक्ष्य के माध्यम से खनिजों में अपना आनुपातिक अधिकार स्थापित करें। उक्त पत्र के अनुसर में, कलेक्टरों ने इस सीमेंट कंपनियों से खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम[1] के तहत निर्धारित दरों पर रॉयल्टी और अनिवार्य किराया माफ करने का आह्वान किया।

3. उपर्युक्त दो कार्यवाहियों को चुनौती देते हुए, उपर्युक्त सीमेंट कंपनियों द्वारा रिट याचिकाएं दायर की गईं (हमें यह कहते हुए खेद है) पूरी तरह से गंजे और अस्पष्ट दावों के साथ। दलीलों की अस्पष्टता को प्रदर्शित करने के लिए, हम डब्ल्यू. पी. से निष्कर्ष निकालते हैं। नं. 7783/2002 जो सी. ए. सं.5329/2002 में समाप्त हुआ।

> "1. याचिकाकर्ता कई जमीनों का रैयतवारी पट्टादार है, जिसमें डालमियापुरम और उसके आसपास लगभग 355 एकड़ जमीन शामिल है। याचिकाकर्ता पिछले करीब 45 वर्षों से इन जमीनों पर खनन कार्य कर रहा है। इन भूमियों से सीमेंट के निर्माण के लिए चूना-पत्थर, जिप्सम आदि

खनिज प्राप्त होता है। खनन कार्यों के उद्देश्य से, सरकार और याचिकाकर्ता ने लगभग 45 साल पहले पंजीकृत समझौते किए थे। वे समझौते इस सदी के दूसरे अंत तक चलेंगे। याचिकाकर्ता द्वारा किए जाने वाले खनन कार्यों के लिए, याचिकाकर्ता को समय-समय पर निर्दिष्ट दरों पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ता था।

2. उन समझौतों की तारीख के बाद से, सरकार उन व्यक्तियों से आधी रॉयल्टी वसूलने पर सहमत हो गई थी जो अपनी पट्टा भूमि में खनन कार्य कर रहे थे। सरकार से संबंधित पोरम्बोक भूमि के संबंध में, खनन उद्देश्यों के लिए पट्टेदार पूरी रॉयल्टी का भुगतान कर रहे हैं।

1 फुटनोट सरकार ने उद्धृत अपने पत्र में दूसरे और तीसरे में निर्धारित रॉयल्टी और डेड रेंट की पूरी दर पर खनन प्रयोजनों के लिए पट्टे पर दी गई पट्टा भूमि के संबंध में रॉयल्टी और डेड रेंट लगाने और एकत्र करने का निर्देश दिया है। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की अनुसूचियां, 10.5.82 से प्रभावी।

3. इसलिए कृपया खान अधिनियम की दूसरी और तीसरी अनुसूची में निर्धारित दरों पर रॉयल्टी और डेड रेंट माफ करें और विशेष तहसीलदार – खान, तिरुचिरापल्ली को परिवहन परमिट के लिए आवेदन करें। रॉयल्टी

और डेड रेंट की राशि 10.5.82 से प्रभावी अधिनियम और उसके नियमों के अनुसार पूर्ण दर पर प्रेषित की जानी चाहिए।

रैयतवारी पट्टादारों से ½ रॉयल्टी का संग्रह रैयतवारी पट्टादारों के अधिकारों की समझ पर आधारित था, जैसा कि मद्रास खनन मैनुअल में विचार किया गया था, जो तब पार्टियों के अधिकारों को नियंत्रित और विनियमित करता था।

4. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सर्वेक्षण संख्या या उन गांवों का कोई विवरण नहीं है जिनमें भूमि स्थित है; उस भूमि की सटीक सीमा जहां खनन कार्य किया जाता है; या याचिकाकर्ता द्वारा दोहन किए गए खनिजों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। रिट याचिका दायर करने से लगभग 45 साल पहले कथित तौर पर निष्पादित प्रासंगिक पंजीकृत समझौतों का न तो विवरण दिया गया है और न ही उनकी प्रतियां दी गई हैं। संपूर्ण रिट याचिका इस आधार पर आगे बढ़ती है कि याचिकाकर्ता अधिकार के तौर पर खनिजों के निष्कर्षण पर देय रॉयल्टी का केवल 50% भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। याचिकाकर्ता के अनुसार ऐसा अधिकार उपमृदा अधिकारों के संबंध में प्रचलित कानून से उत्पन्न होता है।[2]

5. मद्रास सीमेंट्स लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका (1983 की रिट याचिका संख्या 3450, जो 2002 की सिविल अपील संख्या 5335-5336 में समाप्त हुई) में थोड़ी बेहतर जानकारी उपलब्ध है, हालांकि तर्कों में पेश

किए गए किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। रिट याचिका के पैरा 3 में कहा गया है कि मद्रास सीमेंट्स को जीओएम के तहत दो खनन पट्टे दिए गए थे। क्रमांक 1238 यानी पट्टा दिनांक 11.05.1971 और पट्टा विलेख दिनांक 5.8.1971 20 साल की अवधि के लिए और दो संबंधित पट्टा विलेख दिनांक 30.8.1971 और 9.9.1971 प्रत्येक 20 साल की अवधि के लिए निष्पादित किए गए थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें भुगतान करना आवश्यक है: "उक्त दोनों खनन पट्टों के संबंध में, रॉयल्टी, डेड रेंट और सरफेस रेंट की दरें

फुटनोट पैरा 6-...चूंकि याचिकाकर्ता और सरकार ने खनन उद्देश्यों के लिए (लगभग 45 साल पहले) समझौता किया था, याचिकाकर्ता की रॉयल्टी का 50% भुगतान करने का दायित्व एक प्रभावी अवधि थी। भूमि के विभिन्न वर्गों में उपमृदा अधिकारों के संबंध में तत्कालीन प्रचलित कम विज्ञापन की समझ के आधार पर अनुबंध। सरकार इस अनुबंध से बंधी है।

सरकार के आदेश और पार्टियों के बीच किए गए लीज डीड की शर्तों के तहत निम्नानुसार होने का आदेश दिया गया था, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

1	रॉयल्टी	सरकारी भूमि रु। 1.25	पट्टा भूमि रु. 0.63
			प्रति प्रति टन
2	मृत प्रथम वर्ष	शुन्य	शुन्य

किराया

दूसरे वर्ष से पांचवे वर्ष तक	रू. प्रति वर्ष 12.50 हैक्टयर उत्पादन	रू. 6.25 प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष
छठवे वर्ष से दसवे वर्ष तक	रू. 25/- प्रति वर्ष	रू. 12.50/- प्रति वर्ष
ग्यारह वर्ष से आगे	रू. 37.50/- प्रति वर्ष	रू. 18.75/- प्रति वर्ष

6. 2005 की सिविल अपील संख्या 1352 में फिर से मद्रास सीमेंट लिमिटेड अपीलकर्ता है। 1998 की रिट याचिका संख्या 6562 में विवाद का विषय 23.36 एकड़ भूमि का विस्तार है, जिसके लिए जीओएम संख्या 240 उद्योगों दिनांक 20.07.1982 में 20 वर्षों की अवधि के लिए चूना पत्थर के लिए खनन पट्टा दिया गया था। निम्नलिखित शर्तों में एक बिल्कुल भ्रमित करने वाली दलील रिट याचिका के पैरा 2 में दी गई है।

> "2. याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.07.1982 के जीओ एमएस नंबर 240 इंडस्ट्रीज के तहत विरुधुनगर में रामनाथपुरम पश्चिम जिले के पंडालगुडी गांव में रैयती भूमि के संबंध में

20 साल की अवधि के लिए 23.36 एकड़ की 5 साल की अवधि के लिए खनन पट्टे में प्रवेश किया। वर्ष, रामनाथपुरम के कलेक्टर के साथ लेकिन सुश्री द्वारा आरोप लगाया गया था। 494 से रु. रॉयल्टी और डेड रेंट के रूप में 10/- रुपये प्रति टन। इन गांवों में तीसरे प्रतिवादी के रूप में, दूसरे वर्ष से 30/- प्रत्येक 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। समझौते में तय की गई रॉयल्टी अधिनियम 57 के भाग V के अनुसार थी, अर्थात् सरकारी भूमि के संबंध में यह रु। 1.25 प्रति टन और पट्टा भूमि के संबंध में यह रु. 0.63 प्रति टन और मृत्यु के लिए याचिकाकर्ता तुरंत और नियमित रूप से इसका भुगतान कर रहा है।"

7. उक्त रिट याचिका में तमिलनाडु राज्य द्वारा एक समान रूप से संवेदनहीन और अस्पष्ट जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। उपर्युक्त खनन पट्टे के अनुदान को स्वीकार करते हुए, जवाबी हलफनामे में इस प्रकार कहा गया है:-

"..कंपनी द्वारा भारत सरकार को दायर किए गए संशोधन आवेदन और भारत सरकार द्वारा पारित आदेशों के परिणामस्वरूप, इस राज्य सरकार ने जीओ सुश्री संख्या 494, उद्योग विभाग, दिनांक 23.3.88 में खनन को मंजूरी

दे दी है कीलपंडालगुडी गांव, अरुप्पुकोट्टई तालुक में 23.36 एकड़ की सीमा पर 23.11.82 से 10 साल की अवधि के लिए पट्टा। शासनादेश में शासन ने रॉयल्टी की दर 100 रुपये निर्धारित की है। खदान से निकाले गए खनिज के लिए 10/- प्रति टन और अनिवार्य किराया निम्नानुसार तय किया गया:

प्रथम वर्ष -नील -

दूसरे से पांचवें वर्ष तक -रु. 30 /-प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष

छठे से दसवें वर्ष -रु. 60 /-प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष

ग्यारहवें वर्ष के बाद -रु. 90 /-प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष

3. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 5.5.87 में रॉयल्टी रुपये निर्धारित की है। चूना पत्थर के लिए 10/- प्रति टन और अतिरिक्त किराया इस प्रकार है:

प्रथम वर्ष-नील -

दूसरे से पांचवें वर्ष तक- रु. 30/- प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष

छठे से दसवें वर्ष-रु.60/- प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष

ग्यारहवें वर्ष के बाद- रु. 90/- प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष

4. हलफनामे के पैराग्राफ 1 में दिए गए कथनों के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता का यह तर्क कि वह कंपनी का महाप्रबंधक और प्रधान अधिकारी है और कंपनी चूना पत्थर के उत्खनन के लिए सरकार के साथ पट्टा समझौते में प्रवेश कर रही है, सही हो सकता है।"

8. शपथ पत्र के अभिसाक्षी की पूर्ण संवेदनहीनता उपरोक्त निकाले गए भाग से स्पष्ट है, विशेष रूप से प्रति शपथ पत्र के पैरा 4 से। याचिकाकर्ता द्वारा कथित खनन पट्टे के अस्तित्व को न तो अभिसाक्षी स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और न ही इससे इनकार करता है।

9. अन्य रिट याचिकाओं में दलीलें बेहतर नहीं हैं।

10. सभी रिट याचिकाओं का निपटारा मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिनांक 15.3.1991 के एक सामान्य आदेश द्वारा किया गया। आदेश का ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है:-

"पूर्वगामी कारणों से, इन रिट याचिकाओं को आंशिक रूप से इस हद तक अनुमति दी जाती है कि पट्टों की अवधि के दौरान, जो इन रिट याचिकाओं को दाखिल करने की तिथि पर लागू थे, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं से मांग करने और एकत्र करने से रोका जाता है। जहां तक

पट्टा भूमि का संबंध है, रॉयल्टी 50 प्रतिशत से अधिक है।

लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।"

11. दोनों रिट याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ तमिलनाडु राज्य भी उपर्युक्त निर्णय से व्यथित थे क्योंकि यह उनके खिलाफ था। इसलिए, उन सभी ने इंट्रा कोर्ट अपीलें कीं। ऐसी अपीलों का विवरण, जहां तक वे हमारे समक्ष अपीलों के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक हैं, तमिलनाडु राज्य द्वारा विभिन्न विशेष अनुमति याचिकाओं में दायर किए गए सामान्य जवाबी हलफनामे में बताया गया है, जो अंततः अपीलों के वर्तमान बैच में परिणत हुआ। [3]

12. इस तरह की दलीलों की पृष्ठभूमि में उन मुद्दों की सटीक पहचान भी नहीं की गई है जिनकी जांच की जानी है-जाहिर है कि गंभीर प्रयास पर भी, मुद्दों की पहचान असंभव नहीं तो मुश्किल होगी-उच्च न्यायालय ने एक लंबी जांच शुरू की उप-भूमि में पट्टादार के अधिकारों में।

13. दुर्भाग्य से अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग में आने वाले मामलों के निर्णय में समय के साथ न्यूनतम ध्यान देने (अस्वीकृति की हल्की अभिव्यक्ति को नियोजित करने) की एक प्रणाली विकसित हो गई है। जब कई मामलों (कथित तौर पर प्रकृति में समान) को निर्णय के लिए एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो समस्या जटिल हो जाती है।

14. उच्च न्यायालय ने एक "निष्कर्ष" दर्ज किया कि

फुटनोट 6. यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, लेखन के दो समूह थे संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपीलें पट्टा भूमि खानों के संबंध में 100% रॉयल्टी के भुगतान के लिए। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट अपीलें निम्नलिखित थीं। एस. एल. नहीं।

क.स.	अपीलार्थियों के नाम	अपील की संख्या
1	डालमिया सीमेंट्स (बी) लिमिटेड	डब्ल्यू. ए. नं. 685/91
2	मद्रास सीमेंट्स लिमिटेड,	डब्ल्यू. ए. नं. 686/91
3	इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड,	डब्ल्यू. ए. नं. 698/91
4	केमिकल्स एंड प्लास्टिक (1) लिमिटेड	डब्ल्यू. ए. नं. 713/91
5	डालमिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड,	डब्ल्यू. ए. नं. 717/91
6	एसोसिएट सीमेंट कंपनीलिमिटेड	डब्ल्यू. ए. नं. 116/92

सरकार द्वारा दायर रिट अपीलें निम्नलिखित थींः

1. अपील सं. लिखें। 475 के 478,480,481,483,487,488,498 और 490 तक 1993.

2 1993 का डब्ल्यू. ए. सं. 479,491 और 492

डालमिया सीमेंट तिरुचिरापल्ली जिले के डालमियापुरम और उसके आसपास बड़े पैमाने पर "रैयतवारी पट्टादार" है। हमारी राय में, ऐसा बयान सटीक और गलत दोनों है। याचिकाकर्ताओं द्वारा 2002 की सिविल अपील संख्या 5329 में अनुलग्नक पी-2 के रूप में चिह्नित एक दस्तावेज़ में, जो मद्रास सरकार का एक आदेश है जिसे अब जीओएम संख्या 903 दिनांक 25 फरवरी, 1966 में तमिलनाडु कहा जाता है, यह दर्ज है कि एम/ एस। डालमिया सीमेंट ने सेलम जिले के सेलम तालुक के चेट्टीचावडी जागीर गांव में 1386.36 एकड़ की सीमा पर खनन पट्टा देने के लिए आवेदन किया था। उक्त दस्तावेज़ में आगे कहा गया है,

> "चूंकि चेट्टीचवाडी जागीर की पूरी इनाम संपत्ति को मद्रास इनाम एस्टेट (उन्मूलन और रैयतवाड़ी में रूपांतरण) अधिनियम, 1963 (मद्रास अधिनियम 26, 1963) के तहत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है, इस प्रकार सरकार ने भूमि को सरकारी भूमि मानकर कंपनी द्वारा आवेदित खनन पट्टा देने का निर्णय लिया गया।"[4]

15. उक्त दस्तावेजों की सामग्री से, ऐसा प्रतीत होता है कि डालमिया सीमेंट ने एक विशाल भूमि पर खनन पट्टे के लिए आवेदन किया था

4 फ़ुटनोट जीओएमएस नं. 903 दिनांक 25 फरवरी 1966-आदेश-डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड, डालमियापुरम ने 20 वर्षों की अवधि के लिए सलेम जिले के सलेम तालुक के चेट्टीचावडी जागीर गांव में 1386.36 एकड़ की सीमा पर मैग्नेसाइट के खनन पट्टे के अनुदान के लिए आवेदन किया है। 1386.36 एकड़ की कुल सीमा में से, 493.26 एकड़ की सीमा के लिए आवेदन दिनांक 10.11.1945 के पट्टा विलेख द्वारा कवर किया गया है, जिसके लिए संशोधन प्रस्ताव भारत के खनन पट्टों के नियंत्रक के पास लंबित हैं ताकि इसे अन्य प्रावधानों के अनुरूप लाया जा सके। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और उसके तहत बनाए गए नियम। जहां तक 893.1 एकड़ की शेष सीमा का संबंध है, आवेदक कंपनी इस सरकार की कार्यवाही संख्या 5303 विकास दिनांक 28.12.1950 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उन्हें दी गई अस्थायी अनुमति के आधार पर इस भूमि में खनन कार्य कर रही है। रैयतवारी और अन्य मध्यवर्ती स्वामित्व भूमि में खनिज रियायतें देने के लिए एमओडी प्रावधानों वाले खनिज रियायत नियम, 1960 के लागू होने के परिणामस्वरूप, आवेदक ने उक्त में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पहले से दी गई अनुमति के नियमितीकरण के लिए भी आवेदन किया है। नियम। चूंकि चेट्टीचावडी जागीर की पूरी इनाम संपत्ति को मद्रास इनाम एस्टेट (उन्मूलन और

रैयतवाड़ी में रूपांतरण) अधिनियम, 1963 (1963 का मद्रास अधिनियम 26) के तहत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है, इस सरकार ने इसके लिए आवेदन किए गए खनन पट्टे को मंजूरी देने का फैसला किया है। कंपनी भूमि को सरकारी भूमि मान रही है...

जिसका एक हिस्सा यानी 493.26 एकड़ मौजूदा पट्टा विलेख दिनांक 10.11.1945 द्वारा कवर किया गया था। इन परिस्थितियों में, रिट याचिका में डालमिया सीमेंट का यह दावा कि वह 355 एकड़ की सीमा का रैयतवारी पट्टादार था, समझ से परे हो जाता है।

16. "रैयतवारी पट्टादार" शब्द ने ब्रिटिश भारत के तत्कालीन मद्रास प्रांत में एक निश्चित कानूनी अर्थ प्राप्त कर लिया था, जहां राजस्व प्रशासन की दो समानांतर प्रणालियाँ प्रचलित थीं। उन्हें (1) जमींदारी, और (2) रैयतवारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। जमींदारी प्रथा प्रारंभ में बंगाल प्रांत में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी। वर्ष 1799 में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आदेश दिया कि कॉर्नवालिस द्वारा डिजाइन की गई जमींदारी प्रणाली को मद्रास प्रेसीडेंसी में भी अपनाया जाए। हालाँकि इस तरह की प्रणाली शुरू में मद्रास प्रेसीडेंसी के कुछ हिस्सों में शुरू की गई थी, 1806 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक मिनट दर्ज किया था कि

"जमींदारी का निर्माण जहां पहले कोई अस्तित्व में नहीं था, न ही निचले वर्गों की स्थिति में सुधार करने के लिए गणना की गई थी।" लोग न ही सरकार की भविष्य की सुरक्षा के संदर्भ में राजनीतिक रूप से बुद्धिमान हैं।"

अंततः, 1813 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक न्यायालय ने आगे से जमींदारी प्रथा शुरू करने पर रोक लगा दी।[5]

17. 1812 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने आदेश दिया कि उन सभी प्रांतों में रैयतवारी प्रणाली शुरू की जानी चाहिए जहां अभी तक निपटान को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जमींदारी और रैयतवाड़ी प्रणालियों के बीच अंतर को सुंदरराज अयंगर द्वारा पृष्ठ 153 पर बहुत संक्षेप में वर्णित किया गया है।

"इस प्रणाली की विशिष्ट विशेषता यह है कि राज्य को भूमि के मालिक के साथ सीधे संपर्क में लाया जाता है और जमींदार या किसान जैसे किसी मध्यवर्ती एजेंट के हस्तक्षेप के बिना अपने स्वयं के नौकरों के माध्यम से अपना राजस्व एकत्र करता है

5 फुटनोट जमींदारी व्यवस्था के विस्तृत इतिहास के लिए, एस. सुंदरराज अयंगर द्वारा लिखित मद्रास प्रेसीडेंसी में भूमि कार्यकाल, दूसरा संस्करण, अध्याय IV देखें।

और इसका उद्देश्य किसान मालिक. विस्तारित खेती से

प्राप्त सारी आय राज्य को जाती है।"

18. इसलिए, रैयतवारी पट्टादार शब्द को रैयतवाड़ी बंदोबस्त की प्रणाली के तहत तत्कालीन मद्रास प्रांत में पट्टा रखने वाले व्यक्ति के रूप में समझा जाता था। हालाँकि जमींदारी व्यवस्था के तहत भूमि पर खेती करने वाले व्यक्ति/किरायेदार को भी रैयत कहा जाता है और कुछ मामलों में जमींदार ने भी ऐसे रैयतों के पक्ष में कुछ दस्तावेज जारी किए थे, जिन्हें पट्टा कहा जाता है, लेकिन उन पट्टों की तुलना कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी या उसके उत्तराधिकारी द्वारा जारी किए गए पट्टों से नहीं की जा सकती है। सरकारें. क्योंकि, हालांकि स्थायी रूप से बसी संपत्ति के जमींदार/भूमि धारक के पास न केवल सतह होती है, बल्कि संपत्ति की उप-मृदा भी होती है, किसी दिए गए मामले में किरायेदार के पास उप-मृदा का कोई अधिकार है या नहीं, यह उन शर्तों पर निर्भर करता है, जिन पर जमींदार ने किरायेदारी दी थी। ऐसी संभावना को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 16 के तहत मान्यता दी गई है, जो कहती है -

"जहां खान और खनिज के शुरू होने से पहले किसी संपत्ति

या कार्यकाल के मालिक द्वारा दिए गए किसी भी खनन

पट्टे के तहत अधिकार (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1972....."

इसी तरह, इनाम सम्पदा में इनामदार के पास उपमृदा अधिकार है या नहीं, यह उन शर्तों पर निर्भर करता है जिन पर इनाम मूल रूप से दिया गया था। [आंध्र प्रदेश राज्य बनाम डुवुरु बलराम रेड्डी एआईआर 1963 एससी 64 देखें]।

19. मद्रास राज्य (वर्तमान तमिलनाडु) में सम्पदा और इनाम के उन्मूलन के परिणामस्वरूप, (1) सम्पदा (उन्मूलन और रैयतवारी में रूपांतरण) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 26) और (2) नामक क़ानून द्वारा तमिलनाडु इनाम संपदा (उन्मूलन और रैयतवारी में रूपांतरण) अधिनियम (तमिलनाडु अधिनियम XXVI, 1963) के अनुसार, सभी संपदा या इनाम, जैसा भी मामला हो, पूरी तरह से राज्य में स्थानांतरित और निहित हो गए। दोनों अधिनियमों में घोषणा की गई है कि इस तरह के हस्तांतरण में "खदान और खनिज"[6] शामिल हैं। हालाँकि, इस तरह के अधिकार पर राज्य दोनों अधिनियमों के तहत उचित वैधानिक जांच के बाद "रयोतवारी पट्टा"[7] के अनुदान के लिए, जैसा भी मामला हो, संपत्ति धारक या इनामदार के तहत खेती करने वाले किरायेदार के अधिकार को मान्यता देने के लिए बाध्य है।.

20. जीओएम के गायन के अनुसार नंबर 903, भूमि की पूरी सीमा जिसके संदर्भ में डालमिया सीमेंट द्वारा आवेदन किया गया था, चेट्टीचावडी जागीर गांव का हिस्सा है। मद्रास इनाम संपदा (उन्मूलन)

6 फ़ुटनोट संपदा (उन्मूलन और रियायत) अधिनियम, 1948 के 3(बी)-उस संपत्ति के स्थायी निपटान पर जमींदारी संपत्ति की संपत्ति में शामिल संपूर्ण संपत्ति (नाबालिग इमामों (पूर्व-निपटान के बाद) सहित); सभी सांप्रदायिक भूमि और पोरम्बोक; अन्य गैर-रैयती भूमि; बंजर भूमि; चारागाह भूमि; लंका भूमि; वन; खदानें और खनिज; खदानें; नदियाँ और नदियाँ; टैंक और सिंचाई कार्य; मत्स्य पालन; और घाट, सरकार को हस्तांतरित कर दिये जायेंगे और उसमें निहित हो जायेंगे। उन्हें, सभी बाधाओं से मुक्त; और आंध्र प्रदेश (आंध्र क्षेत्र) राजस्व वसूली अधिनियम, 1864, आंध्र प्रदेश (आंध्र क्षेत्र) सिंचाई उपकर अधिनियम, 1865 और रैयतवारी क्षेत्रों पर लागू अन्य सभी अधिनियम संपत्ति पर लागू होंगे;

इनाम उन्मूलन अधिनियम, 1963 के तहत संबंधित प्रावधान के लिए फुटनोट 5 भी देखें ।

7 फ़ुटनोट सेक्शन 11 भूमि जिसमें रैयत रैयतवारी पट्टा का हकदार है-एक संपत्ति में प्रत्येक रैयत, अधिसूचित तिथि से प्रभावी रूप से, धारा 10 के संबंध में रैयतवारी पट्टा का हकदार होगा। (1) मौजूदा इनाम संपत्ति के मामले में प्रत्येक रैयत, अधिसूचित तिथि से ही,-

8ए के संबंध में रैयतवारी पट्टा का हकदार होगा। संपदा भूमि अधिनियम की धारा 3(15) के तहत "रैयत" को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कृषि के उद्देश्य से रैयत भूमि को एक संपत्ति में रखता है, जो भूमिधारक को उस किराए का भुगतान करने की शर्त पर होता है जो उस पर कानूनी रूप से देय होता है। संपदा उन्मूलन और इनाम उन्मूलन अधिनियम दोनों के प्रयोजनों के लिए एक ही परिभाषा, अभिव्यक्ति "रैयत" की परिभाषा धारा 2(1) और 2(16) के आधार पर संपदा भूमि अधिनियम, 1908 के समान है । उक्त अधिनियम क्रमशः।

8. फ़ुटनोट धारा 3 (बी)-संपूर्ण इनाम संपत्ति (सभी सांप्रदायिक भूमि और पोरम्बोकर्स, अन्य गैर-रयोती भूमि, बंजर भूमि, चारागाह भूमि, जंगल, खदानें और खनिज, खदानें, नदियाँ और धाराएँ, टैंक और ऊरानी (निजी टैंक और ऊरानी सहित) और सिंचाई कार्य, मत्स्य पालन और घाट), सभी बाधाओं से मुक्त होकर सरकार को हस्तांतरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे, और तमिलनाडु राजस्व वसूली अधिनियम, 1864 (1864 का तमिलनाडु अधिनियम II), तमिलनाडु सिंचाई उपकर अधिनियम, 1865 (1865 का तमिलनाडु अधिनियम VII) और, रैयतवाड़ी क्षेत्रों पर लागू सभी पुनर्अधिनियम इनाम संपत्ति पर लागू होंगे।

(रैयतवारी का उन्मूलन और रूपांतरण) अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम 26) की धारा 3(बी) [8] के आधार पर धारा 2(10) के तहत एक

परिभाषित अभिव्यक्ति खानों और खनिजों, खदानों आदि सहित संपूर्ण इनाम संपत्ति सरकार को हस्तांतरित कर दी गई और सभी बाधाओं से मुक्त हो गई।

21. इसलिए, डालमिया सीमेंट का यह दावा कि वह एक रैयतवारी पट्टादार है, तथ्य का एक संदिग्ध बयान है। इस बात की जांच करना कि क्या ऐसा पट्टादार उप-मिट्टी के अधिकारों का हकदार है, पूरी तरह से अनुचित था क्योंकि पूरी रिट याचिका में एक भी वाक्य नहीं है जिसमें डालमिया सीमेंट ने दावा किया हो कि उप-मिट्टी के अधिकार उनके पास निहित हैं।

22. डालमिया सीमेंट द्वारा धारित पट्टों की संख्या, प्रासंगिक तारीखें जिन पर ऐसे पट्टे पहली बार दिए गए या बाद में नवीनीकृत किए गए (यदि नवीनीकृत किए गए) के बारे में कोई जानकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। न ही उन पट्टों में से किसी एक (यदि एक से अधिक पट्टे हैं) के अंतर्गत आने वाले खनिज से संबंधित जानकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसलिए, यह ज्ञात नहीं है कि पट्टे 'खनिज' या 'लघु खनिज' से संबंधित हैं या नहीं।

23. रिकॉर्ड से जो एकमात्र तथ्य सामने आता है, वह यह है कि 10.11.1945 को दिए गए खनन पट्टे के अनुसार, डालमिया सीमेंट भूमि के कुछ हिस्सों में खनन कार्य कर रहा है। 1945 में, इस देश में खनन कार्यों

की गतिविधि को विनियमित करने वाला कोई क़ानून नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कार्यकारी निर्देश थे (हमारे सामने किसी विशिष्ट सामग्री के अभाव में हम ऐसा मानते हैं) जिसे मद्रास माइनिंग मैनुअल कहा जाता है, जो देश के उस हिस्से में खनन कार्यों को नियंत्रित करता है जिसे मद्रास प्रांत के रूप में जाना जाता है। क्या 1945 का उक्त खनन पट्टा वास्तव में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत परिभाषित एक पट्टा था या भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत अपने कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करते हुए खनन गतिविधि जारी रखने के लिए राज्य द्वारा दी गई अनुमति थी, इसकी जांच की आवश्यकता है। उचित दलील पर किसी विशिष्ट दलील या मुद्दे के अभाव में ऐसे मामलों की जांच की वास्तव में आवश्यकता नहीं होती है।

24. जैसा भी हो. 1945 के बाद, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 के नाम से जाना जाने वाला एक अधिनियम अस्तित्व में आया।

25. उक्त अधिनियम की धारा 4 घोषित करती है कि उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद, कोई भी खनन पट्टा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार नहीं दिया जाएगा और इसके विपरीत दिया गया कोई भी पट्टा शून्य होगा ।

26. धारा 5 और 6 केंद्र सरकार को खनन गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं को नियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। वर्तमान निर्णय के प्रयोजन के लिए विवरण आवश्यक नहीं हैं।

27. धारा 7 [9] भारत सरकार को उक्त अधिनियम के प्रारंभ से पहले दिए गए किसी भी खनन पट्टे के नियमों और शर्तों को संशोधित करने या बदलने के उद्देश्य से नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है ताकि ऐसे मौजूदा पट्टों को नियमों के अनुरूप लाया जा सके। धारा 5 और 6 के तहत बनाए गए नियम

9 फुटनोट 7 मौजूदा पट्टों में संशोधन के लिए नियम बनाने की शक्ति-(1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी खनन के नियमों और शर्तों को संशोधित करने या बदलने के उद्देश्य से नियम बना सकती है। इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले दिया गया पट्टा ताकि ऐसे पट्टे को धारा 5 और 6 के तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप लाया जा सके ;

बशर्ते कि इस प्रकार बनाए गए कोई भी नियम जो उप-धारा (2) के खंड (सी) में उल्लिखित मामलों के लिए प्रदान करते हैं, तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि उन्हें केंद्रीय विधानमंडल द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के अनुमोदित नहीं किया जाता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत बनाए गए नियम प्रदान करेंगे-

(ए) पट्टों में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधन या परिवर्तन की पूर्व सूचना देने के लिए, और जहां पट्टादाता केंद्र सरकार नहीं है, वहां पट्टादाता को भी और उन्हें प्रस्ताव के खिलाफ कारण बताने का अवसर देने के लिए;

(बी) उस पार्टी द्वारा मुआवजे के भुगतान के लिए जो प्रस्तावित संशोधन या परिवर्तन से लाभान्वित होगी, उस पार्टी को जिसके मौजूदा पट्टे के तहत अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे; और

(सी) उन सिद्धांतों के लिए जिन पर, जिस तरीके से और जिस प्राधिकारी द्वारा उक्त मुआवजा निर्धारित किया जाएगा।

28. उक्त अधिनियम को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, 1957 के अधिनियम संख्या 67 (इसके बाद "1957 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) द्वारा निरस्त कर दिया गया था। हालाँकि 1948 के अधिनियम में खनिजों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया था, 1957 का अधिनियम ऐसा वर्गीकरण बनाता है। अभिव्यक्ति 'लघु खनिज' को धारा 3(ई)[10] के तहत परिभाषित किया गया है। अभिव्यक्ति 'खनिज' को धारा 3(ए) [11] के तहत समावेशी शब्दों में परिभाषित किया गया है। इसलिए, 1957 अधिनियम के तहत खनिज और लघु खनिज हैं।

29. 1957 अधिनियम की धारा 14[12] घोषित करती है कि धारा 5 से 13 (दोनों सम्मिलित) लघु खनिजों पर लागू नहीं होती हैं।

30. अधिनियम की धारा 4 टोही परमिट या अधिनियम के तहत दिए गए पट्टे के पूर्वेक्षण लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अलावा किसी भी टोही, पूर्वेक्षण या खनन गतिविधियों (खनिजों के किसी भी वर्ग के) को करने पर रोक लगाती है। उसके तहत बनाए गए नियम [13]

31. अधिनियम की धारा 9[14] घोषित करती है कि इसके बावजूद

10 फ़ुटनोट 3(ई) "लघु खनिज" का अर्थ है निर्माण पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली रेत के अलावा साधारण रेत, और कोई अन्य खनिज जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकती है।, गौण खनिज घोषित करें।

11 फ़ुटनोट 3(ए) "खनिज" में खनिज तेल को छोड़कर सभी खनिज शामिल हैं;

12 फुटनोट 14. धारा 5 से 13 गौण खनिजों पर लागू नहीं होंगे धारा 5 से 13 (समावेशी) के प्रावधान गौण खनिजों के संबंध में खदान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज रियायतों पर लागू नहीं होंगे।

13 फुटनोट 4. पूर्वेक्षण या खनन कार्यों का लाइसेंस या पट्टे के तहत होना- (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कोई भी टोही, पूर्वेक्षण या खनन कार्य नहीं करेगा, सिवाय नियमों और शर्तों के तहत और उनके अनुसार। टोही परमिट या पूर्वेक्षण लाइसेंस या, जैसा भी मामला हो, इस

अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए गए खनन पट्टे का परमिट।

14 फ़ुटनोट 9. खनन पट्टों के संबंध में रॉयल्टी-(1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले दिए गए खनन पट्टे का धारक, पट्टे के दस्तावेज में या उस पर लागू किसी भी कानून में किसी भी बात के बावजूद, प्रारंभ के बाद, उसके द्वारा या उसके एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी, ठेकेदार या उप-पट्टेदार द्वारा पट्टे वाले क्षेत्र से हटाए गए या उपभोग किए गए किसी भी खनिज के संबंध में दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर रॉयल्टी का भुगतान करें। उस खनिज का.

1957 अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले दिए गए पट्टे के दस्तावेज या लागू किसी भी कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, खनन पट्टे का धारक या तो पहले या बाद में दिया गया था । अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से उस खनिज के संबंध में दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर रॉयल्टी का भुगतान किया जाएगा।

32. अधिनियम की धारा 13[15] भारत सरकार को "खनिजों के संबंध में और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टों के अनुदान को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के लिए" अधिकृत करती है। जाहिर है, ऐसे नियम लघु खनिजों के अलावा

अन्य खनिजों के संदर्भ में हैं। जहां तक लघु खनिजों का संबंध है, अधिनियम की धारा 15[16]

इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके बाद दिए गए खनन पट्टे के धारक को पट्टे वाले क्षेत्र से उसके या उसके एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी, ठेकेदार या उप-पट्टेदार द्वारा हटाए गए या उपभोग किए गए किसी भी खनिज के संबंध में रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। उस खनिज के संबंध में दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट समय के लिए दर।

15 फुटनोट 13. खनिजों के संबंध में नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति-(1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन के अनुदान को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है। पट्टे] खनिजों के संबंध में और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रदान कर सकते हैं, अर्थात्:- .....

(ए) वह व्यक्ति जिसके द्वारा, और जिस तरीके से, भूमि के संबंध में टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं, जिसमें खनिज सरकार में निहित हैं और उनके लिए भुगतान की जाने वाली फीस;

********** (qq)

वनस्पतियों के पुनर्वास का तरीका और किसी भी पूर्वेक्षण या खनन कार्यों के कारण नष्ट हुई अन्य वनस्पति, जैसे कि पेड़, झाड़ियाँ और इसी तरह की अन्य वनस्पतियाँ उसी क्षेत्र में या केंद्र सरकार द्वारा चयनित किसी अन्य क्षेत्र में बनाई जाएंगी (चाहे पुनर्वास की लागत की प्रतिपूर्ति के रूप में या अन्यथा) पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा धारक व्यक्ति द्वारा; और राज्य सरकार को लघु खनिजों और विभिन्न अन्य जुड़े और प्रासंगिक मामलों के संबंध में पट्टों के अनुदान, किराए, रॉयल्टी, शुल्क आदि के निर्धारण को विनियमित करने के लिए उचित नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है ।

33. अधिनियम की धारा 16, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित है, इस प्रकार पढ़ें:

> "16. 25 अक्टूबर, 1949 से पहले दिए गए खनन पट्टों को संशोधित करने की शक्ति-(1) 25 अक्टूबर, 1949 से पहले दिए गए सभी खनन पट्टों को, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, प्रावधानों के अनुरूप लाया जाएगा। यह अधिनियम और धारा 13 और 15 के तहत बनाए गए नियम ।

" धारा 16 की भाषा से यह देखा जा सकता है कि सभी खनन पट्टे (इस तथ्य की परवाह किए बिना कि ऐसा पट्टा 1957 अधिनियम के तहत वर्गीकृत एक खनिज या लघु खनिज के संदर्भ में है) 25 अक्टूबर 1949 से पहले प्रदान किया गया, 1957 अधिनियम के प्रावधानों और धारा 13 और 15 के तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप लाया जाना चाहिए ।

34. धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने खनिज रियायत नियम, 1960 के रूप में ज्ञात नियम बनाए। उक्त नियमों का अध्याय IV उस भूमि के संबंध में खनन पट्टों के अनुदान और विनियमन की प्रक्रिया से संबंधित है। खनिज सरकार के अधीन हैं। उक्त नियमों का अध्याय V उस भूमि के संबंध में पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त करने की प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें खनिज सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पास निहित हैं।

(आर) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाना है या किया जा सकता है।

फुटनोट 15. गौण खनिजों के संबंध में नियम बनाने की राज्य सरकारों की शक्ति-(1) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, खदान पट्टों, खनन पट्टों या के अनुदान को विनियमित करने के

लिए नियम बना सकती है। गौण खनिजों के संबंध में और उससे जुड़े प्रयोजनों के लिए अन्य खनिज रियायतें।

(1ए) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रदान कर सकते हैं, अर्थात्:-

उक्त नियमों का अध्याय VI भूमि के संबंध में खनन पट्टों से संबंधित है जिसमें खनिज आंशिक रूप से सरकार में और आंशिक रूप से निजी व्यक्ति में निहित होते हैं। नियम उपर्युक्त तीन अध्यायों के अंतर्गत आने वाली भूमि के विभिन्न वर्गों से संबंधित हैं और खनन पट्टे के अनुदान को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं और ऐसी खदानों और संबंधित मामलों के कामकाज के लिए नियामक उपायों का प्रावधान करते हैं। लेकिन कोई भी नियम उन भूमियों के मामले में रियायती दर पर रॉयल्टी के संग्रह का प्रावधान नहीं करता है जहां खनिज सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पास निहित हैं। वैसे भी ऐसे किसी नियम की ओर हमारा ध्यान नहीं गया है.

35. तमिलनाडु राज्य द्वारा कोई नियम नहीं बनाया गया है (यदि यहां अपीलकर्ताओं का कोई भी खनन पट्टा लघु खनिजों से संबंधित है) तो राज्य को "रैयतवाड़ी पट्टादार" के पक्ष में दिए गए खनन पट्टे के संबंध में रियायती दर पर रॉयल्टी एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है।

"भूमि का मामला हमारे संज्ञान में लाया गया है। न ही उस संबंध में कोई विशेष दलील है।

36. भले ही हम तर्क के लिए यह मान लें कि सीमेंट कंपनियां या तो मूल रैयतवारी प्रणाली के तहत पट्टादार (या ऐसे पट्टादारों के हित में उत्तराधिकारी) हैं या सम्पदा/इमाम के उन्मूलन के अनुसार 'रैयतवारी पट्टा' के धारक हैं।, और तर्क के लिए यह भी मान लें कि प्रत्येक अपीलकर्ता कंपनी अपनी पट्टा भूमि के उपमृदा अधिकारों की भी मालिक है, क्योंकि, हमारी राय में, ऐसे स्वामित्व से रॉयल्टी एकत्र करने के राज्य के अधिकार के संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ता है।. यह याद रखा जा सकता है कि मूल रैयतवारी पट्टा भूमि के बारे में भी, जहां माना जाता है कि खनिज पट्टादार में निहित है, राज्य ने दावा किया था (बीएसओ 10 दिनांक 19.03.1888 में, जिसे हमारे द्वारा थ्रेसिअम्मा जैकब और अन्य बनाम भूविज्ञानी [17], विभाग में निकाला गया था) खनन और भूविज्ञान और अन्य में निकाला गया था और हम इसे फिर से निकालते हैं), "खनिजों की उपज में एक हिस्सा धन भुगतान में परिवर्तित" एकत्र करने का इसका अधिकार- जिसने अंततः नामकरण रॉयल्टी प्राप्त कर लिया-

संकल्प-दिनांक 19 मार्च 1888, संख्या 277.

मौजूदा स्थायी आदेश के अधिक्रमण में, निम्नलिखित को स्थायी आदेश संख्या 10 के रूप में जारी किया जाता है:-

1. राज्य खनिजों पर कोई दावा नहीं करता-

जी. ओ. 26 मई, 1882, सं. 511 (अधिसूचना, अनुच्छेद 1)।	आयोजित सम्पदा में स्थायी की सनद समझौता
जी. ओ. 28 अक्टूबर 1882 सं.1181	मताधिकार प्राप्त इनाम में जमीनें
जी. ओ. 28 अप्रैल 1881 सं.861	(c)धार्मिक सेवा में मकानों की पुष्टि की गई इनाम नियमों के तहत निरंतर सेवा कार्यकाल।
	घ) स्वामित्व वाली भूमि में- के अधीन जारी किए गए कार्यअपशिष्ट भूमि नियम,पहले 7 अक्टूबर, 1870 तक,जिसका कोई आरक्षण नहीं है। राज्य का अधिकार खनिज पदार्थ बनाए जाते हैं।

2. निम्नलिखित मामलों में खनिजों में राज्य का अधिकार खनन किए गए खनिजों की उपज में हिस्सेदारी तक सीमित है, जिसे सरकार द्वारा, यदि आवश्यक समझा जाए, भूमि मूल्यांकन के साथ और इसके अतिरिक्त, धन भुगतान में परिवर्तित किया जाता है।:-

जी. ओ. 8 अक्टूबर 1883 सं.1248 (क) रैतवारी पट्टों के तहत कृषि उद्देश्य के लिए कब्जा की गई भूमि

जी. ओ. 23 जनवरी 1881 सं.121 (ख) मालाबार में जनमम भूमि में

जी. ओ. 16 दिसंबर 1881 सं.1384

जो लोग उन भूमि में खनिजों का काम करना चाहते हैं, उन्हें देना चाहिए जिले के कलेक्टर को उनके इरादे की सूचना, उन भूमि को निर्दिष्ट करना जिसमें वे खनन कार्य करना चाहते हैं और दो छमाही किश्तों में भूमि मूल्यांकन के अलावा खनिजों के लिए एक विशेष मूल्यांकन का भुगतान करना चाहिए।दरेंः

प्रति एकड़ (रु.)

1.सोने के लिए खनन के लिए 5

2 सोने के अलावा अन्य धातुओं के लिए खनन के लिए 2

3 हीरे और अन्य कीमती पत्थरों के खनन के लिए 15

4 बहुमूल्य पत्थर कोयले, चूने के पत्थर या उत्खनन के लिए भवन निर्माण। (ऐसी दरें जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय की जा सकती हैं।

कलेक्टर को नोटिस दिए बिना खनन कार्य करने पर दरें दोगुनी हो जाएंगी।

बोर्ड की प्रक्रियाएँ दिनांकित

10 जुलाई 1182 सं. 1751

विशेष मूल्यांकन के लिए दिए गए पट्टा में प्रवेश किया भूमि और इसके तहत एकत्र किया गया 1834 के अधिनियम ॥ के प्रावधान मद्रास। कोई शुल्क नहीं लगेगा। केवल संभावना के लिए बनाया गया पट्टा भूमि में खनिजों के लिए यदि खदानों में नियमित रूप से काम नहीं किया जाता है।कोई छूट नहीं दी जाएगी। प्रदत्त किसी भी भूमि का सम्मान सतह की खेती के लिए अनुपयुक्त खनन का संचालन संचालन।यह नियमन हीं है बेशक किसी भी तरह से जो भूमि के सभी धारकों का अधिकार है खुदाई के पट्टा अधिकार पर उनकी भूमि में कुएँ और बजरीकानिपटान और पत्थर जो फेंके जा सकते हैं इस तरह के दौर में उत्खनन।

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि इस तरह के प्राधिकरण से प्रवाहित होता है राज्य की संप्रभुता-साम्राज्य[18]

37. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 या उसके तहत बनाए गए नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अधिनियम के तहत खनन पट्टा हासिल करने वाले रैयतवारी पट्टादार को रियायती दर पर रॉयल्टी का भुगतान करने का अधिकार देता हो। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार के पास अधिनियम के तहत निर्धारित दर के अलावा किसी भी पट्टेदार से रियायती दर पर रॉयल्टी एकत्र करने का विवेक है, क्योंकि अधिनियम और नियमों के तहत इस तरह के विवेकाधिकार प्रदान करने वाले किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में। प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पर निर्भर करता हैः

18 फुटनोट हमारा स्पष्ट मत है कि पट्टे में दाखिल-खारिज या कलेक्टर के स्थायी आदेश से पट्टा भूमि में खनिज संपदा के दोहन पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ेगा। हमारी राय में, कर किसी भी तरह से खनिजों में राज्य के स्वामित्व का संकेत नहीं दे सकता। कर लगाने की शक्ति संप्रभु प्राधिकारी (साम्राज्य) की एक आवश्यक घटना है, लेकिन मालिकाना अधिकार (डोमिनियम) की घटना नहीं है। मालिकाना अधिकार अधिकारों का एक संग्रह है जिसमें विभिन्न घटक, अधिकार शामिल हैं। यदि किसी

व्यक्ति के पास किसी संपत्ति की उपज में केवल हिस्सा है, तो यह कभी नहीं कहा जा सकता कि वह संपत्ति ऐसे व्यक्ति में निहित है। तत्काल मामले में, राज्य ने 'खनिजों के उत्पादन' में हिस्सेदारी की मांग करने के अपने 'अधिकार' का दावा किया, हालांकि नियोजित अभिव्यक्ति सही है-यह वास्तव में संप्रभु प्राधिकरण है जिसका दावा किया गया है। बीएसओ नंबर 10 की भाषा से यह स्पष्ट है कि हिस्सेदारी मांगने के ऐसे अधिकार का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब पट्टादार या पट्टादार के माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति, खनिजों को निकालता है / काम करता है-ऐसा होने पर धन इकट्ठा करने का राज्य का अधिकार है किसी घटना की-ऐसी मांग उत्पाद शुल्क/कर की प्रकृति में अधिक होती है। किसी शुल्क या कर को एकत्र करने के अधिकार का दावा संप्रभु प्राधिकार के दायरे में है, लेकिन मालिकाना अधिकार नहीं है। [थ्रीसिअम्मा जैकब और अन्य बनाम भूविज्ञानी, विभाग. खनन एवं भूविज्ञान एवं अन्य, (2013) 9 एससीसी 725 के फैसले का पैरा 51

1. खनन पट्टे का वास्तविक कानूनी चरित्र क्या है यानी क्या खनन पट्टा संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत परिभाषित उस अभिव्यक्ति के अर्थ में एक पट्टा है या यह केवल खनन गतिविधि करने की अनुमति है?

2. क्या उपमृदा के स्वामित्व से उपरोक्त प्रश्न के निर्धारण में कोई फर्क पड़ता है?

3. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत अभिव्यक्ति रॉयल्टी का वास्तविक कानूनी चरित्र क्या है, यानी, क्या यह कर है या खनन पट्टे के अनुबंध के लिए प्रतिफल है?

4. क्या राज्य के पास खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत या संविधान की योजना के तहत अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित दरों से कम दरों पर रॉयल्टी एकत्र करने का कोई विवेकाधिकार है?

5. क्या रॉयल्टी के वास्तविक चरित्र से प्रश्न संख्या 4 के निर्धारण में कोई फर्क पड़ता है?

38. जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, रिट याचिकाओं में दलीलें निराशाजनक रूप से अस्पष्ट, अस्पष्ट और अस्पष्ट हैं जो न्यायालय को उपर्युक्त मुद्दों में से किसी एक की जांच करने में सक्षम बनाती हैं। सामान्य तौर पर, हमें अपर्याप्त दलीलों के आधार पर इन सभी अपीलों को खारिज कर देना चाहिए था। लेकिन उपर्युक्त मुद्दों में से तीसरा मुद्दा पहले से ही इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया है, जो देश के अन्य हिस्सों से अपीलों से उत्पन्न हुआ है। इन अपीलों को खारिज करने से अंततः कानून का असममित अनुप्रयोग हो सकता है; इस तरीके से जो पूरे देश में एक समान नहीं है जिससे संविधान की सुसंगत और समान व्याख्या प्रभावित हो रही है। इसलिए हम अपीलकर्ताओं के साथ-साथ

तमिलनाडु राज्य को कई रिट याचिकाओं में दलीलों को उचित रूप से संशोधित करने और प्रश्नों के निर्णय के लिए आवश्यक संपूर्ण तथ्य पेश करने का अवसर प्रदान करना उचित समझते हैं।

39. इसलिए, हम इन अपीलों में अपीलकर्ताओं से ऊपर उठाए गए मुद्दों के निर्णय के लिए आवश्यक पूर्ण तथ्यों का खुलासा करते हुए हलफनामा दाखिल करने का आह्वान करते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, अगर राज्य रिकॉर्ड पर नए लाए जाने वाले किसी भी तथ्य पर विवाद करता है, तो अपीलकर्ताओं द्वारा दायर किए गए ऐसे आगे के हलफनामे पर जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए तमिलनाडु राज्य के लिए खुला है।

40. प्रश्न "उत्पादित/खनन/खानों से निकाले गए खनिजों पर देय रॉयल्टी/डेड रेंट की वास्तविक प्रकृति क्या है" (कुछ अन्य संबंधित प्रश्नों के साथ) इस न्यायालय के दिनांक 30 मार्च, 2011 के एक आदेश द्वारा एक बड़ी पीठ को भेजा गया था। खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं अन्य बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण एवं अन्य (2011) 4 एससीसी 450 में रिपोर्ट किया गया।

41. हम इसे उचित मानते हैं कि इन अपीलों को खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अन्य के साथ टैग किया जाए। बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण एवं अन्य, 1999 की सिविल अपील संख्या 4056-64 आदि। तदनुसार आदेश दिया गया।

बिभूति भूषण बोस

मामलों को अपीलों के दूसरे समूह के साथ टैग किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हेमलता भारती (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।